



2026:AHC:126858

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23183 वर्ष 2026

संजना और एक अन्य..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सौरभ त्रिपाठी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, प्रतिपक्षियों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक निर्देश मांगा गया है।
3. संलग्न अभिलेखों एवं पक्षकारों के अभिकथनों के अवलोकन से यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के प्रति किसी गंभीर खतरे की आशंका नहीं पाता है। अतः, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (ए.आई.आर. 2006 एससी 2522)वाद में प्रतिपादित विधि के आलोक में याचिकाकर्ताओं को पुलिस संरक्षण प्रदान किए जाने संबंधी कोई आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालयों का उद्देश्य ऐसे युवक-युवतियों को संरक्षण प्रदान करना नहीं है, जो केवल अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने के लिए घर से चले गए हों।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इस न्यायालय के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री या कारण नहीं है कि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। इस बात का रती भर भी सबूत नहीं है कि निजी प्रतिपक्षी(याचिकाकर्ताओं में से किसी एक के रिश्तेदार) याचिकाकर्ताओं को शारीरिक या मानसिक हमला की संभावना रखते हैं।

5. एक योग्य मामले में, न्यायालय दंपति को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन उन्हें वह सहायता नहीं दे सकता जो उन्होंने मांगा है। उन्हें एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना होगा।

6. यदि कोई व्यक्ति उनके साथ दुर्यवहार करता है या उनके साथ दुर्यवहार करता है, तो अदालतें और पुलिस अधिकारी उनके बचाव में आने के लिए हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से या अधिकार के रूप में सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं।

7. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन पेश किया है और यदि संबंधित पुलिस को वास्तविक खतरे की धारणा मिलती है, तो वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

8. यह भी देखा गया है कि निजी प्रतिपक्षियों द्वारा किए गए किसी भी अवैध आचरण के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष सूचना के रूप में कोई विशिष्ट आवेदन पसंद नहीं किया गया है, यदि ऐसा है, और संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो याचिका में कोई विशिष्ट कथन उपलब्ध नहीं है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 175(3) के अनुसरण में कोई मामला स्थापित किया गया है।

9. इसके मददेनजर, याचिका में की गई प्रार्थना पर न्यायालय की कृपा की मांग करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, इसलिए, इसका निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया)

11 जून 2026 / प्रमोद त्रिपाठी